

(61)

न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज सरकार जसिये पटवारी हल्का कालेडा  
बनस

अप्रार्थी - श्री जन्दाराम जी जवानासाह नवासा कालेडा जन्मदिन 27/10/1956  
अधिनिचय 1956 जाट

प्रकरण संख्या 61/2018  
निर्णय

दिनांक 16.10.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेडा  
अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अप्रार्थी द्वारा खेत 275  
का खसरा नम्बर 99 में किले जे.श. राखान रकबा 0.03 ई. बाया नाम  
कर अतिक्रमण किया है। जिस पर पटवारी 07 अगस्त 1956 को नोटिस जारी  
किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते बगल सदत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी  
से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिनिचय  
ने दिनांक को उपस्थित हाकर प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी द्वारा पत्रावली में नोटिस जारी करने के बाद अप्रार्थी ने  
का अवलोकन किया कि अप्रार्थी द्वारा खेत नम्बर 99  
जे.श. राखान में रकबा 0.03 ई. बाया का भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है  
सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमण घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा पत्रावली अधिनिचय मुक्ति का दिनांक 16/10/18 को  
बदरबल करने का आदेश पारित किया गया है। लगातार 61- नया नया ई.  
दर से अतिक्रमण रकबा 0.03 ई. का दिनांक 0.18  
1/- अक्षरों रूप में अक्षरों रूप में अक्षरों रूप में अक्षरों रूप में अक्षरों रूप में  
तहसील राजस्थान लखाकार व पटवारी हल्का का नाम काकाका अक्षरों रूप में अक्षरों रूप में  
पत्रावली हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को माल की सीमा में अतिक्रमण  
मालिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.18 को